न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :-

अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:-18/21 ई.दी

निर्णय दिनांक:-23.03.2021

1 श्री सोमा लौहार पिता गंगाराम लौहार जाति लौहार उम्र वयस्क निवासी रामसौरबडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 136 भु राजस्व अधिनियम व सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी

उपस्थित अधिवक्ता :- श्री कर्तव्य शाह वादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी गांव रामसौरबडा तहसील सीमलवाडा का स्थायी निवासी है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। वादी व अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की रिकॉर्डेड खातेदारी आराजी ग्राम रामसौरबडा में खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 124, 335, 336, 684, 686, 687, 688, 691, 963, 971 खेत किता 10 कुल रकबा 2.6385 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 11 खसरा नम्बर कमशः 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, खेत किता 14 रकबा 3.1162 हैक्टेयर होकर स्थित है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी व अन्य सहखातेदारों का अपने अपने हिस्से पर यथावत रूप से बना हुआ है। वादी ने अपनी व संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से पर लोन लेने हेतु वादी ने खाते की नकले निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादी के पिता गंगाराम के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में वादी का नाम श्यामा पिता गंगाराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जबकि श्यामा पिता गंगाराम नाम के कोई पुरूष नहीं है। जिस पर वादी ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर गंगाराम की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरणकरण की प्रति परत निकलवाई तो पता चला की नामांतरणकरण के समय ही राजस्व कर्मचारीयों ने मूलवंश वादी सोमा लौहार नाम अंकित नहीं कर श्यामा का नाम दर्ज कर दिया है। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारी व प्रतिवादी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है।

कमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी 23/3
सीमलवाड़ा

प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादी को मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम रामसौरबडा में खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 124, 335, 336, 684, 686, 687, 688, 691, 963, 971 खेत किता 10 कुल रकबा 2.6385 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 11 खसरा नम्बर कमशः 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, खेत किता 14 रकबा 3.1162 हैक्टेयर से बेदखल न करे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज की जांच करने पर श्यामा पिता गंगाराम व सोमा पिता गंगाराम दोनों एक ही व्यक्ति होने से राजस्व रिकॉर्ड में श्यामा को सोमा करना उचित है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम रामसौरबडा में खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 124, 335, 336, 684, 686, 687, 688, 691, 963, 971 खेत किता 10 कुल रकबा 2.6385 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 11 खसरा नम्बर कमशः 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, खेत किता 14 रकबा 3.1162 हैक्टेयर में श्यामा का नाम हटाकर कर वादी सोमा पिता गंगाराम का नाम दर्ज कर वादी सोमा पिता गंगाराम लौहार को वादग्रस्त आराजी के हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी खातेदार काश्तकार है। ग्राम रामसौरबडा में खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 124, 335, 336, 684, 686, 687, 688, 691, 963, 971 खेत किता 10 कुल रकबा 2.6385 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 11 खसरा नम्बर कमशः 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, खेत किता 14 रकबा 3.1162 हैक्टेयर स्थित है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी सोमा लौहार अन्य सहखातेदारों का अपने अपने हिस्से पर यथावत रूप से बना हुआ है। वादी के पिता गंगाराम के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में श्यामा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में श्यामा पिता गंगाराम लौहार की जगह सोमा पिता गंगाराम लौहार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

कमशः पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है ग्राम रामसौरबडा में खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 124, 335, 336, 684, 686, 687, 688, 691, 963, 971 खेत किता 10 कुल रकबा 2.6385 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 11 खसरा नम्बर कमशः 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, खेत किता 14 रकबा 3.1162 हैक्टेयर में श्यामा पिता गंगाराम लौहार की जगह सोमा पिता गंगाराम लौहार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

अनिल कुमार जैन 23/3
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन 23/3
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा